



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102024-257797
CG-DL-E-10102024-257797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4029]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 10, 2024/आश्विन 18, 1946

No. 4029]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2024/ASVINA 18, 1946

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(भूमि तथा विकास कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 4392(अ).— सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भूमि तथा विकास कार्यालय की दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सं. ए-42021/23/2017-प्रशा.(एल एंड डी ओ) के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री अशोक बावल, उप भूमि तथा विकास अधिकारी – (VI) और श्री बिपिन कुमार सिंह, उप भूमि तथा विकास अधिकारी – (VII) जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, को उपर्युक्त अधिनियम, के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो लोक परिसरों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उपर्युक्त अधिनियम के तहत/के द्वारा सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों, जिनका वर्णन नीचे किया गया है, का प्रयोग करेंगे एवं सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	लोक परिसर तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
1.	श्री अशोक बावल, उप भूमि तथा विकास अधिकारी-VI, भूमि तथा	नजूल भूमि/पुनर्वास कॉलोनियों से संबंधित परिसर जो भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार तथा प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जिन्हें लीज

	विकास कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	अनुभागों (लीज-I, लीज-II-ए, लीज-II-बी, लीज-IV, लीज-V) तथा सम्पत्ति अनुभागों (पीएस-I, पीएस-II, पीएस-III, आर. पी. सैल) एवं प्रवर्तन अनुभाग में डील किया जाता है।
2.	श्री श्री बिपिन कुमार सिंह, उप भूमि तथा विकास अधिकारी- VII, भूमि तथा विकास कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	नजूल भूमि/पुनर्वास कॉलोनियों से संबंधित परिसर जो भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार तथा प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जिन्हें लीज-III अनुभाग में डील किया जाता है तथा भूमि के अस्थायी आबंटन से संबंधित मामले।

[फा. सं. ए-42021/23/2017-प्रशा.(एल एंड डी ओ)]

रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Land and Development Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 4392(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs, Land & Development Office No. A-42021/23/2017-Admn.(L&DO) dated 3rd October, 2023, the Central Government hereby appoints Shri Ashok Bawal, Dy. L&DO-VI and Shri Bipin Kumar Singh, Dy. L&DO-VII, being Gazetted Officers of Government of India, to be the Estate Officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on an Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his/ her jurisdiction in respect of Public Premises as detailed below:

Sl. No	Name and Designation of the Officer	Public Premises and local limits of jurisdiction
1	Shri Ashok Bawal, Dy. L&DO-VI, Land & Development Office, Nirman Bhawan, New Delhi	Premises relating to Nazul Lands/ Rehabilitation Colonies under the jurisdiction and administrative control of L&DO, Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi being dealt with in Lease Sections (L-I, L-IIA, L-IIB, L-IV, L-V) Property Sections (PS-I, PS-II, PS-III, RP Cell) and Enforcement Section.
2	Shri Bipin Kumar Singh, Dy. L&DO-VII, Land & Development Office, Nirman Bhawan, New Delhi	Premises relating to Nazul Lands/ Rehabilitation Colonies under the jurisdiction and administrative control of L&DO, Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi being dealt with in Lease-III section and matters relating to temporary allotment of land.

[F. No.A-42021/23/2017-Admn.(L&DO)]

RAVI KUMAR ARORA, Jt. Secy.